सुदामा आदि विरूद्ध कुनका

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू ~~534–दो/01~~ 907-II/11 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.10.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग. 1482–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 21.1.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्र /2014 पुनर्विलोकन Revi-907-II-14.

श्री सुनील सिंह जादौन, अधि.
द्वारा आज दि. 13.3.14 को
प्रस्तुत

13.3.14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
4.25 P.M.

1. सुदामा कंजर तनय गपन्द कंजर निवासी चुवाही तहसील मझोली जिला सीधी म.प्र.।
2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व. बीरेन्द्र कुमार कंजर निवासी ग्राम चुवाही तहसील मझोली जिला सीधी म.प्र.।

.........आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

कुनका उर्फ कांती कंजर पत्नी श्री चंन्द्रभान कंजर उर्फ बाबा कंजर निवासी ग्राम चुवाही तहसील मझोली जिला सीधी म.प्र.

..........अनावेदक

13.3.14
सुनील सिंह जादौन